भारत सरकार

ग्रामीण विकास मंत्रालय

ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं. 2877

(10 मार्च, 2026 को उत्तर दिए जाने के लिए)

पीएमजीएसवाई का क्रियान्वयन

2877. सुश्री प्रणिती सुशीलकुमार शिंदे:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले वित्तीय वर्ष के दौरान प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) का कार्यान्वयन कम रहा और संशोधित प्राक्कलन पिछले वर्ष के वास्तविक व्यय से कम थे और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या वर्तमान वित्तीय वर्ष के बजट प्राक्कलनों में पिछले वर्ष के संशोधित प्राक्कलनों की तुलना में लगभग 72 प्रतिशत की वृद्धि हुई है, जिसका मुख्य कारण कार्यक्रम घटक के अंतर्गत अधिक आवंटन है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति (2025) की पीएमजीएसवाई-IV के अंतर्गत लंबित परियोजनाओं को पूरा करने और नवीनतम जनसंख्या आंकड़ों का उपयोग करके सड़क सर्वेक्षणों को अद्यतन करने संबंधी सिफारिशों पर ध्यान दिया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या वर्ष 2025 के दौरान राष्ट्रीय गुणवत्ता पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण की गई 24 प्रतिशत सड़कें और राज्य गुणवत्ता पर्यवेक्षकों द्वारा निरीक्षण की गई 16 प्रतिशत सड़कें असंतोषजनक पाई गईं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) पीएमजीएसवाई के अंतर्गत परियोजनाओं की गुणवत्ता में सुधार और उन्हें समय पर पूरा करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

ग्रामीण विकास राज्य मंत्री

(श्री कमलेश पासवान)

(क) और (ख): प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) एक केंद्र प्रायोजित योजना है, और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा कार्यान्वयन की गति और अव्ययित शेष राशि की उपलब्धता के आधार पर निधियों का आवंटन किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए, 19,000 करोड़ रुपए के बजट अनुमान (बीई) की तुलना में संशोधित अनुमान (आरई) 14,500 करोड़ रुपए पर निर्धारित किया गया था। वर्तमान वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए बजट अनुमान 19,000 करोड़ रुपए ही रखा गया है, जो पिछले वर्ष के संशोधित अनुमान से लगभग 31% अधिक है।

(ग): इस मंत्रालय ने ग्रामीण विकास और पंचायती राज संबंधी स्थायी समिति की उन्नीसवीं रिपोर्ट (2024-25) को ध्यान में रखा है। लंबित परियोजनाओं को समय पर पूरा करने के लिए, इस मंत्रालय ने एक नियमित निगरानी तंत्र बनाया है। सभी घटकों - पीएमजीएसवाई-I, पीएमजीएसवाई-II, पीएमजीएसवाई-III और वामपंथी उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों के लिए सड़क संपर्क परियोजना (आरसीपीएलडब्ल्यूईए) की प्रगति की समीक्षा, मासिक समीक्षा बैठकों, क्षेत्रीय समीक्षा बैठकों (आरआरएम), कार्य-निष्पादन समीक्षा समिति (पीआरसी) की बैठकों और मुख्य सचिवों के साथ विशेष समीक्षा बैठकों के माध्यम से की जाती है। लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने के लिए, इस मंत्रालय ने निधि प्रवाह सुव्यवस्थित करने और बेहतर वित्तीय अनुशासन सुनिश्चित करने के लिए एसएनए-स्पर्श प्रणाली शुरू की है। जहां तक पीएमजीएसवाई-IV के सड़क सर्वेक्षण का संबंध है, यह योजना वर्तमान में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित 2011 जनगणना आंकड़ों के आधार पर कार्यान्वित की जा रही है। हालाँकि, इसके दायरे के अधिकतम विस्तार के लिए, यह मंत्रालय एक "क्लस्टर दृष्टिकोण" को अपनाता है जिसमें पात्रता मानदंडों को पूरा करने के लिए, विशेष रूप से पहाड़ी और दुर्गम क्षेत्रों में छोटी बसावटों को एक समूह में रखा जाता है।

(घ) और (ङ): विनिर्माण में उच्च मानकों को बनाए रखना पीएमजीएसवाई का एक मुख्य उद्देश्य है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान, राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एनक्यूएम) द्वारा किए गए निरीक्षणों में जारी परियोजनाओं के 8.13%, पूर्ण परियोजनाओं के 15.08% और रखरखाव के तहत सड़कों के 23.07% कार्य को "असंतोषजनक" श्रेणी का पाया गया है। इसी अवधि में राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ताओं (एसक्यूएम) द्वारा किए गए निरीक्षणों में समान श्रेणियों के लिए क्रमशः 2.53%, 2.11% और 17.26% की श्रेणी "असंतोषजनक" दर्ज की गई है।

यह मंत्रालय परियोजना कार्यान्वयन इकाई (पीआईयू), राज्य गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एसक्यूएम) और राष्ट्रीय गुणवत्ता निगरानीकर्ता (एनक्यूएम) को शामिल करते हुए अनिवार्य त्रिस्तरीय गुणवत्ता नियंत्रण तंत्र के माध्यम से गुणवत्ता सुनिश्चित करता है। इस कार्यक्रम के एमआईएस - ऑनलाइन प्रबंधन, निगरानी और लेखांकन प्रणाली (ओएमएमएएस) के माध्यम से वास्तविक और वित्तीय प्रगति का भी पता लगाया जाता है। विलंब को रोकने के लिए, इस

मंत्रालय ने बोलियां आमंत्रित करने की प्रक्रियाओं को सरल बनाया है और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ नियमित क्षेत्रीय समीक्षा बैठकें (आरआरएम) आयोजित की हैं। इसके अलावा, माननीय संसद सदस्य की अध्यक्षता वाली जिला विकास समन्वय और निगरानी समिति (दिशा) स्थानीय पर्यवेक्षण में सहायता करती है ताकि परियोजनाओं का समय पर पूरा होना सुनिश्चित किया जा सके।

***